


लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु
आवेदन – पत्र

प्रति,

परियोजना अधिकारी
परियोजना
जिला
मध्यप्रदेश



मैं अपने पुत्री/आश्रम की बालिका की कु.
का पंजीकरण लाडली लक्ष्मी योजना में कराना चाहती हूँ। इसके लिए विवरण निम्नलिखित है :

क्र	1	2
1	बालिका का नाम
2	बालिका का जन्म दिनांक
3	बालिका की माता का नाम
4	बालिका की माता की आयु
5	बालिका के पिता का नाम
6	बालिका के पिता की आयु
7	बालिका के भाई/बहनों की संख्या; बालिका को छोड़कर
8	बालिका के भाई/बहन का नाम
9	बालिका के भाई/बहन का जन्म दिनांक
10	क्या बालिका की बहन भी हितग्राही है
11	बालिका के माता पिता के निवास का पूर्ण पता मकान क्रमांक.....वार्ड/ग्राम.....ऑगनवाड़ी क्र.तहसील.....जिला.....पिनकोड.....	है/ नहीं
12	ऑनवाड़ी क्षेत्र में कब से निवास करते हैं	जन्म से/ गत..... वर्षों से
13	पोस्ट ऑफिस का नाम जिसमें राष्ट्रीय बचत पत्र क्रय किया जाना है।
14	बालिका के पिता/माता में परिवार नियोजन किसने अपनाया	माता/पिता
15	परिवार नियोजन अपनाने की दिनांक
16	आवेदक का वर्ग/सामान्य/अ.जा/अ.ज.जा./पि./वर्ग
17	आवेदक की अनुमानित वार्षिक आय
18	क्या बालिका के माता पिता आयकर – दाता है।	है/ नहीं
	क्या बालिका के माता पिता बीपीएल कार्ड धारक है।	है/ नहीं

आवेदक का प्रमाण पत्र

- प्रमाणित किया जाता है कि मैं आयकर दाता नहीं हूँ एवं मेरे द्वारा दिये गये उक्त सभी तथ्य सही हैं। अगर इन तथ्यों में किसी भी प्रकार की कोई विसंगति या झूठ पाया जाता है तो उसके लिये मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूँ। और मुझे प्राप्त समस्त लाभ सरकार को वापिस देने के लिए सहमत हूँ।
- कोई विसंगति या झूठ पाए जाने पर मेरे द्वारा दिया गया आवेदन-पत्र किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।
- यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा किसी अन्य ऑगनवाड़ी से आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

दिनांक

आवेदक का नाम:

हस्ताक्षर

आवेदक का घोषणा-पत्र

- मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि
- अपनी पुत्री को नियमित रूप से ऑगनवाड़ी में नियमित रूप से भेजूंगा/भेजूंगी तथा उसे निरंतर पढ़ाऊँगा /पढ़ाऊँगी/लिखाऊँगा/लिखाऊँगी।
- मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि अपनी पुत्री कु. का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयू 18 वर्ष के पश्चात् ही करूँगा/करूँगी।
- मैंने योजना की शर्तों को भली भाँति समझ लिया है। यदि मेरी पुत्री पात्रता शर्तों का पालन करने में विफल रहती है तो उसके नाम से क्रय किए गए/नवीनीकृत किए गए राष्ट्रीय बचत पत्र शासन वापस लेने हेतु अधिकृत होगा
- बालिका की मृत्यु अथवा पात्रता शर्तों के पालन न कर पाने के स्थिति में तत्कल सूचना ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता को दूँगा/दूँगी।

दिनांक

आवेदक का नाम:

हस्ताक्षर

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले प्रपत्र

आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार फार्म संलग्न किये जायें :

1. राष्ट्रीय बचत पत्र क्रय के लिए भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित आवेदन (पाँच प्रति) में।
2. पत्र को शासन को प्लेज करने के लिए हस्ताक्षरित आवेदन (पाँच प्रति) में।
3. आवेदक का मूल निवासी होना परिवार नियोजन अपनाने के संबंध में कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र

आँगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती

पत्नी श्री गाँव

परियोजना जिला

की पुत्री कुमारी का जन्म दिनांक

है तथा बालिका योजजा के लिए पात्र है। बालिका का नाम आँगनवाड़ी केन्द्र क्रमांक में पंजीकृत है जथा प्रमाणित किया जाता है कि बालिका के माता/पिता ने परिवार नियोजन अपना लिया है और बालिका के माता/पिता के दो ही जीवित सन्तान है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि बालिका के माता पिता गाँव के मूल निवासी हैं।

नाम

आँगनवाड़ी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर

प्रभारी अधिकारी—अनाथ आश्रम/बाल संरक्षण गृह द्वारा दिये जाने वाले

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी संख्या में दिनांक से पंजीकृत है पंजीकृत के समय उसका जन्म दिनांक लगभग अकिंत की गई है तथा बालिका योजना के लिए पात्र हितग्राही है।

प्रभारी अधिकारी अनाथ आश्रम/बाल संरक्षण गृह

का नाम एवं हस्ताक्षर

बाल विकास परियोजना अधिकारी का स्वीकृति आदेश

उक्त दिये गए तथ्यों के आधार पर कु.....
पुत्री श्रीमती पत्नी श्री
परियोजना जिला के
नाम रु. 600/- के राष्ट्रीय बचत पत्र 5 वर्षों तक खरीदने की स्वीकृति दी जाती है बालिका नाम योजना
के हितग्राही रजिस्टर के क्रम संख्या पर पंजीकृत है

नाम एवं हस्ताक्षर
बाल विकास परियोजना अधिकारी
परियोजना
जिला